हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 04/2018 मेहराराम वगै. बनाम भीखचन्द वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 29.09.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री केसराराम विश्नोई

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 20.06.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। श्रीमानजी पूर्व में कोर्ट कैम्प दिनांक 14.06.2018 को था उस समय रीडर साहब ने अलग कैम्प कोर्ट 05 जुलाई रखने की बात की थी इस कारण न्यायायल के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया जिसका कोई सदभाविक कारण नहीं दर्शाया गया। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांटस/प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 29.09.2022 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Double Tap to Edit